राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः—प.12(27)पपा/2012 जयपुर दिनांकः— 12 JAN 2017

--: आदेश :--

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600—39100 ग्रेड—पे 5400/— में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक—13.3.2006 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) रू. 22180/-(अक्षरे रूपये बाईस हजार एक सौ अस्सी मात्र) प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित पशु चिकित्सालयों में करते हैं :—

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नंबर	अधिकारी का नाम/ पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	245	200078	डॉ0 लेखराज नारवाल/ श्री रघुवीर प्रसाद	17-12-1985	SC	प.चि. गोनेडा, जयपुर
2.	310	100946	डॉ0 बबीता काण्डा/ श्री शशिकान्त काण्डा	04-05-1982	GE-WE	प.चि. अमरगढ़, सवाईमाधोपुर

डॉ0 लेखराज नारवाल को उक्त नियुक्ति माननीय जिला सैशन न्यायाधीश, अलवर में विचाराधीन फौजदारी निगरानी संख्या 117/15 के अध्याधीन दी गई है।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही हैं, जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों के प्रारूपों में उल्लेखित की हैं और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

यह कि उक्त पद पर नियुक्ति नियमों की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय—समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।

ये नियुक्ति कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र आदेश सं.8(1)कार्मिक/क—2/2003 दिनांक 9.6.03, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.13(1)वित्त(नियम)/07, दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेंडम क्रमांक प.13(1)वित्त(नियम)/2003, दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त(नियम)2004, दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतनश्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस बाबत इन्हें कार्यग्रहण करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण किया जावेगा। उक्त अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं है।

यह आदेश वित्त विभाग की ID No.151500422 दिनांक 30.03.2015 एवं कार्मिक विभाग ID No.358/DOP/A-2/2015 दिनांक 06.04.2015 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

......कृ.पृ.उ.

ये नियुक्तियॉ सेवा नियमों के अध्ययाधीन निबन्धकों एवं शर्तों के या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों तथा **S.B.W.P.No.** 2918/2016, 3743/2016, 5486/2016, 4319/2016, 4383/2016, 3271/2016, 5535/2016, 6394/2015, 6491/2016, 4323/2016, 5609/2016, 5996/2016, 3777/2016, 4254/2016 4204/2016, 4690/2016, 4687/2016, 7725/2016, 4738/2016, 8045/2016, 8167/2016, 7777/2016 and 7239/2016 में पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेशों के अध्ययाधीन होंगीं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एन.एल. गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन,मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.7(25)भर्ती/गोपनीय/2012–2013/206 दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
8. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0,जयपुर/संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर लें एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं संबंधित श्रेणी के प्रमाणस्वरूप मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर लें ।
10. संबंधित अभ्यर्थी डॉ0 ....
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव